राजस्व अपील संख्या 325/2022

अनवान

लिछमणाराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार

दिनांक 27–6–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदे क्रमांक/प्रगांसं/2021/ 1145 दिनांक 25–2–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उव अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थग प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये ग अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–2–2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के सा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चा गई इस्तदुआ पर भी मनन किया । जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील व आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वा पारित आदेश क्रमांक/प्रगांस/2021/ 1145 दिनांक 25–2–2022 के क्रम मे प्रकर रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस् न्यायालय द्वारा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्च उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कि जावें । वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो/हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौ रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे । इसके बाद अधीनस्थ न्यायाल उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें,साथ ही अगर आवश्यक हो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील निस्तारण किया जाता है । पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो । निण आंज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त * जोधपुर *

अति• सम्भागीय आयुक्त

जोधपुर